



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032021-225641
CG-DL-E-04032021-225641

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]
No. 107]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2021/फाल्गुन 12, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2021

सा.का.नि. 148(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 757(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2020 की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनसे उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिनको उक्त अधिसूचना से अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 11 दिसंबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 है।
- (2) इन नियमों में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में नियम 125 के उप-नियम (9) के पश्चात निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(9अ) उप नियम (9) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नए मॉडलों के मामले में, तारीख 01 अप्रैल, 2021 को और उसके पश्चात, तथा विद्यमान मॉडलों के मामले में, तारीख 31 अगस्त, 2021 को और उसके पश्चात चालक से भिन्न, सामने की सीट पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए एयरबैग फिट किया जाएगा और ऐसे एयरबैग के लिए यह अपेक्षा, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 145 के अनुसार तब तक के लिए होगी जब तक तत्स्थानी भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के अधीन अधिसूचित नहीं कर दिये जाते हैं।”

[फा. सं.आरटी-11028/16/2016-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 21(अ), तारीख 13 जनवरी, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2021

G.S.R. 148(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways G.S.R 757(E), dated the 11th December, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i) inviting objections and suggestions from persons likely to be affected before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 11th December, 2020;

And whereas, objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. Short title and commencement - (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2021.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, after sub-rule (9) of rule 125, the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(9A) Notwithstanding anything contained in sub rule (9), vehicles manufactured on and after the 1st Day of April, 2021, in the case of new models, and 31st day of August, 2021, in the case of existing models, shall be fitted with airbag for the person occupying the front seat, other than the driver and the requirement for such airbag shall be as per AIS 145, as amended from time to time, till the corresponding Bureau of Indian Standards (BIS) specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016).”.

[F.No. RT-11028/16/2016-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 21(E), dated the 13th January, 2021.